संख्या-139/2018/2511/22-2-2017-17(144)/2012

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 31 जनवरी, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हरिश्चन्द्र पुत्र श्री भोला, निवासी जनपद-बुलन्दशहर हाल जिला गौतमबुद्धनगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34595/प्रोबे0-5-दयायाचिका/977 दिनांक 22.09.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हरिश्चन्द्र पुत्र श्री भोला, जो ग्राम-लोधाना, थाना-जहांगीरपुर, जनपद-बुलन्दशहर हाल जिला गौतमबुद्धनगर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा दिवार के सहारे लडोनी बनाने के विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 31.10.1982 को 22 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, देशी कट्टे, बल्लम एवं लाठी से मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-627/1983 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 307/149 के अन्तर्गत मा0 द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 18.07.1984 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29.11.2002 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 08.09.2016 तक 13 वर्ष 11 माह 09 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 04 माह 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी हरिश्चन्द्र (बन्दी संख्या-8405) पुत्र श्री भोला, निवासी जनपद-बुलन्दशहर हाल जिला गौतमबुद्धनगर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-139/2018/2511(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in